



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर अवैध शस्त्र रखने वाले अभियुक्त को 03 वर्ष का कारावास व ₹3000 के अर्थदंड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना मौदहा में पंजीकृत मु0अ0सं0-683/2009 धारा- 25 आर्म्स एक्ट में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा0 न्यायालय विशेष न्यायाधीश (द0प्र0क्षे0) जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त अमित कुमार पुत्र भूरेलाल विश्वकर्मा निवासी ग्राम टुरेंडा, थाना मटौंध जिला बांदा को दोष सिद्ध करते हुए 03 वर्ष का कारावास व 3,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया



अभियोजक-
एडीजीसी मणिकर्ण
शुक्ला



विवेचक-
उ0नि0 श्री वेदराम
सिंह



पैरोकार- थाना मौदहा
का0 शुभम यादव